



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम -मिनीरत्न कम्पनी)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ
जिला - श्रीगंगानगर - 335804 (राज.)
फोन नं. 01509-220084, 220309

NATIONAL SEEDS CORPORATION
LIMITED

(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
Website: www.indiaseeds.com

CENTRAL STATE FARM - SURATGARH
District- Sriganganagar - 335804 (Raj.)

PHONES : 01509- 220084, 220309 (Office) Tele-Fax: - 01509- 223877
e-mail - csfsgmkg@gmail.com

GST No. 08AABCN8973F2Z3

क्रमांक: सीएसएफ/एसओजी/10-2/विपणन/2018-19/ 672

दिनांक: 19.2.2019

२०

अल्पकालिक निविदा-सूचना

पंजीकृत कृषि रसायन विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ को 70.00 लीटर Spinosad 45% SC की तुरन्त आवश्यकता है जिसकी वैधता तिथि (Expiry) 06 माह तक की हो । यदि आप भी उपरोक्त कृषि रसायन सप्लाई करना चाहते हैं तो अपनी दरें मोहरबन्द लिफाफे में दिनांक 28.2.2019 को दोपहर 2.30 बजे तक निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर को प्रेषित करें । जो उसी दिन दोपहर 3.00 बजे समिति के द्वारा खोली जायेगी । निविदा हेतु निर्धारित धरोहर राशि रुपये 20000.00 बैंक ड्रॉपट अथवा RTGS के माध्यम से जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, सूरतगढ खाता नम्बर 34056542572 (IFSC Code No: SBIN0007774) पर देय हो, सलंगित करना अनिवार्य है ।

निविदा की नियम व शर्त :-

- 1 कृषि रसायन आईएसआई अथवा आईएसओ ब्रान्डेड मार्का होना चाहिए ।
- 2 निविदा में रसायन का नाम, कम्पनी का नाम, आईएसआई, आईएसओ मार्क रसायन है का ब्यौरा लिखना आवश्यक है ।
- 3 सभी रसायन की दर प्रति लीटर/किलोग्राम समस्त कर सहित देनी होगी ।
- 4 कृषि रसायनों की समस्त आपूर्ति, आपूर्ति आदेश प्राप्ति के 3-4 दिन के अन्दर-अन्दर केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ के गोदाम पर करनी होगी । आपूर्ति आदेश प्राप्ति के 5 दिन बाद कृषि रसायन की आपूर्ति करने पर कृषि रसायनों की कुल मूल्य का 5 % Late Delivery Charge के रूप में पार्टी को किये जाने वाले बिलों के भुगतान में से वसूली की जायेगी ।
- 5 आपूर्ति किये जाने वाले कृषि रसायनों की जांच मान्यता प्राप्त कीटनाशी प्रयोगशाला में भेजकर कराई जायेगी जिसका नमूना केन्द्रीय राज्य फार्म,सूरतगढ पर फार्म समिति व फर्म प्रतिनिधि की उपस्थिति में लिया जायेगा एवं जांच का खर्च सप्लायर द्वारा वहन किया जायेगा । जांच में कृषि रसायनों के संतोषजनक पाये जाने पर ही बिल का भुगतान किया जायेगा । यदि कृषि रसायन जांच में अमानक पाया गया तो सम्बन्धित फर्म द्वारा अपने स्वयं के खर्च पर वापिस उठाना होगा ।
- 6 अपूर्ण निविदा होने पर निविदा मान्य नहीं होगी ।
- 7 निविदादाता को GST नम्बर की छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करनी होगी ।
- 8 निविदादाता द्वारा निविदा में दी गई कोई भी नियम व शर्त फार्म को मान्य नहीं होगी ।
- 9 रसायनों की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है ।
- 10 रसायन की वैधता कम से कम छह माह की होनी चाहिए ।

प्रभारी(सामग्री प्रबन्धन)
कृते निदेशक